



**MADHYA PRADESH STATE JUDICIAL ACADEMY,
HIGH COURT OF M.P., JABALPUR**
मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

Beoharbagh, Jabalpur (M.P.) – 482 007

ब्योहारबाग, जबलपुर (म.प्र.) – 482 007

Ph. No. 0761-2626945 Telefax 0761-2628679 E-mail: mpjotri@gmail.com

Ref No. ~~5.76~~..... /MPSJA/2019

Dated: 20/11/2019

—: निविदा प्रपत्र :—

मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर में 7/8 सीटर AC टोयोटा इनोवा वाहन तथा 20/25 सीटर मिनि बस एवं 32/35 सीटर पैसेंजर बस किराये पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र

महत्वपूर्ण तिथियां

1.	निविदा प्रारंभ करने की तिथि	20 नवंबर, 2019 प्रातः 10:00 AM
2.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	11 दिसंबर, 2019 सायः 03:00 PM
3.	निविदा खोले जाने की तिथि	12 दिसंबर, 2019 प्रातः 11:00 AM

निविदा जमा करने एवं खोले जाने
का स्थान –

मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी,
ब्योहारबाग, जबलपुर (म.प्र.) – 482 007

निविदा प्रपत्र मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट
www.mphc.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदाकर्ता का नाम एवं पता:
(फोन नंबर एवं ई-मेल के साथ उल्लेख करें)

.....
.....
.....
.....


नोट – इस निविदा प्रपत्र में 20 पृष्ठ हैं। निविदाकर्ता द्वारा इस निविदा दस्तावेज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा परिवर्धन अनुज्ञेय नहीं है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

विषय सूची

मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर में 7/8 सीटर ए.सी. टोयोटा इनोवा वाहन तथा 20/25 सीटर मिनी बस एवं 32/35 सीटर पैसेंजर बस किराये पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र

अध्याय	विवरण	पृष्ठ
1.	निविदा आमंत्रण सूचना	03-04
2.	निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य अनुदेश	05-12
3.	संविदा की सामान्य एवं विशिष्ट शर्तें	13-17
4.	तकनीकी बिड फार्म	18
5.	वित्तीय बिड फार्म	19-20





**MADHYA PRADESH STATE JUDICIAL ACADEMY,
HIGH COURT OF M.P., JABALPUR**
मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

Beoharbagh, Jabalpur (M.P.) – 482 007

ब्योहारबाग, जबलपुर (म.प्र.) – 482 007

Ph. No. 0761-2626945 Telefax 0761-2628679 E-mail: mpjotri@gmail.com

Ref No. 5.7.6(A)MPSJA/2019

Dated: 20/11/2019

अध्याय – 1

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर से रजिस्ट्रार जनरल द्वारा "मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के उपयोग हेतु 7/8 सीटर टोयोटा इनोवा वाहन एवं मिनी बस/पैसेंजर बस किराये पर लेने हेतु" टू बिड प्रणाली के अनुसार अनुभवी सेवा-प्रदाताओं से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

कार्य का वार्षिक अनुमानित मूल्य (रु. में)	निविदा की प्रतिमूति EMD (रु. में)	निविदा दस्तावेज का मूल्य Application Fee (रु. में)	निविदा जमा करने की प्रारंभिक तिथि व समय	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोले जाने की तिथि व समय
12,00,000 /-	20,000 /-	1,000 /-	20 नवंबर, 2019 10:00 AM	11 दिसंबर, 2019 03:00 PM	12 दिसंबर, 2019 11:00 AM

- (i) निविदा दस्तावेज मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.mphc.gov.in> पर उपलब्ध है। इच्छुक निविदाकर्ता ऊपर उल्लिखित तिथियों एवं समय के भीतर अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (ii) इस निविदा के संबंध में आगामी सभी संशोधन/अधिसूचनायें मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.mphc.gov.in> पर ही उपलब्ध कराई जायेंगी। निविदाकर्ताओं से कोई व्यक्तिगत पत्राचार नहीं किया जायेगा।
- (iii) निविदा की अन्य सभी शर्तें एवं निबंधन इस निविदा दस्तावेज में समाहित हैं। यदि किसी कारण से निविदा जमा करने अथवा खोले जाने की तिथि पर अवकाश घोषित

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

किया जाता है तो आगामी कार्य दिवस पर निविदायें जमा की अथवा खोली जा सकेंगी।

- (iv) रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को किसी भी प्रस्ताव को बिना कोई कारण सूचित किये स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

पत्राचार का पता :

संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, ब्योहारबाग, जबलपुर (म.प्र.) –
482 007

Ph. No. 0761-2626945


Telefax 0761-2628679

E-mail: mpjotri@gmail.com



निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य अनुदेश

- 2.1 परिभाषा : इस निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित शब्दों एवं युग्मों का उनके सम्मुख दर्शाया गया अर्थ निकाला जायेगा :
- (1) "क्रेता" से अभिप्रेत है रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर अथवा उनके प्रतिनिधि।
 - (2) "निविदाकर्ता" से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अथवा फर्म अथवा Joint Venture जो इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेता है अथवा अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।
 - (3) "सफल निविदाकार" का अर्थ है वह निविदाकार जो इस निविदा के संपूर्ण मूल्यांकन के उपरांत कार्य आदेश प्राप्त करता है। सफल निविदाकार को इस दस्तावेज में "सेवा-प्रदाता" से भी संबोधित किया जायेगा।
 - (4) "कार्यादेश" का अर्थ है क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा पत्र जिसके द्वारा इस संविदा द्वारा अपेक्षित कार्य एवं सेवा प्रदाय करने के लिए सफल निविदाकार को दी जाने वाली सूचना। संविदा प्रदाय करने का समय कार्य आदेश में उल्लेखित तिथि से प्रारंभ होगा।
 - (5) "संविदा" का तात्पर्य है क्रेता एवं सफल निविदाकार के मध्य निष्पादन अनुबंध पत्र एवं उसके साथ संलग्न समस्त अनुलग्न एवं अनुसूचियां। संविदा में निष्पादित अनुबंध पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज सम्मिलित माने जायेंगे।
 - (6) "संविदाकार" से अभिप्रेत है व्यक्ति, फर्म अथवा कोई अन्य संस्था जो इस निविदा के अधीन सेवायें प्रदान करती है।
 - (7) "अनुमानित वार्षिक संविदा मूल्य" से अभिप्रेत है सफल निविदाकार को इस निविदा के अधीन मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर में उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन के एवज में एक वर्ष के लिए भुगतान किये जाने वाली अनुमानित कुल धनराशि।
 - (8) "संविदा अवधि" से अभिप्रेत है क्रेता एवं सेवा-प्रदाता के मध्य कार्यादेश के अंतर्गत निष्पादित अनुबंध पत्र के निष्पादन की तिथि से तीन वर्ष तक की अवधि।
 - (9) "निविदा आमंत्रण सूचना" से अभिप्रेत है इस निविदा दस्तावेज के अध्याय – 1 में वर्णित निविदा आमंत्रण सूचना।



- (10) "संचालक" का अर्थ है मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, ब्योहारबाग, जबलपुर (म.प्र.) - 482 007 के संचालक जिसमें प्रभारी संचालक भी सम्मिलित हैं और जो इस निविदा के निष्पादन एवं देख-रेख हेतु मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा अधिकृत हैं।
- (11) "सेवाएं" का अर्थ है मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, ब्योहारबाग, जबलपुर (म.प्र.) - 482 007 में दो मासिक एवं आवश्यकतानुसार अन्य अवधि हेतु टोयोटा इनोवा वाहन एवं बसों को किराये पर उपलब्ध कराने की सेवा तथा इसमें सेवा के अनुषांगिक कार्य भी सम्मिलित होंगे।
- (12) "समान कार्य" का अर्थ है टोयोटा इनोवा वाहन एवं बसों का किसी शासकीय एवं प्राइवेट संस्थान में कार्य पर उपलब्ध कराया जाना।
- (13) "अकादमी अथवा एम.पी.एस.जे.ए." से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ब्योहारबाग, जबलपुर (म.प्र.) - 482 007।
- (14) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है जब तक कि अन्यथा उपबंधित न किया गया हो।

2.2 निविदा दस्तावेज

- 2.2.1 निविदा करने की प्रक्रिया एवं रीति, प्रदाय की जाने वाली सेवाओं का विवरण तथा निविदा की समस्त शर्तें एवं निबंधन इस निविदा दस्तावेज में विस्तारपूर्वक उल्लिखित हैं।
- 2.2.2 निविदाकर्ता से अपेक्षित है कि इस निविदा दस्तावेज के समस्त निर्देशित शर्तों, निबंधनों, विशिष्टियों एवं विनिर्देशनों को भली-भांति पढ़ें। इस निविदा दस्तावेज में अपेक्षित किसी भी शर्त का अनुपालन न करने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/बिड बिना किसी अग्रिम विचार के नामंजूर कर दी जायेगी।
- 2.2.3 इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित प्रारूप में मांगी गई समस्त जानकारी प्रारूप के सुसंगत कॉलम में स्पष्टतया उल्लिखित करनी होगी तथा कोई शर्त लागू न होती हो तो निविदाकर्ता को वहां "Nil" उल्लिखित करना होगा। निविदाकर्ताओं को सचेत किया जाता है कि निर्धारित प्रारूप में कोई भी परिवर्तन करने अथवा अपेक्षित जानकारी उपलब्ध न कराये जाने पर उनका प्रस्ताव नामंजूर कर दिया जायेगा।
- 2.2.4 फैंक्स, टेलीग्राम अथवा ई-मेल से प्राप्त निविदा एवं विलंब से प्राप्त होने वाली निविदाओं को विचार में नहीं लिया जायेगा।
- 2.2.5 प्रस्तावित निविदायें कम्प्यूटर पर साफ-सुथरी अंकित अथवा गुणवत्तापूर्ण कागज पर प्रिंट लेकर जमा की जानी चाहिये। यदि प्रिंटआउट में लगाकर जानकारी भरी जाती है तो लिखावट स्वच्छ, साफ एवं पठनीय होनी चाहिये।

निविदाकर्ताओं को इस निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे।

2.2.6 निविदाकर्ताओं को Over Writing से बचना चाहिये। यदि कोई सुधार करना भी हो तो गलत लिखे शब्द/अंक को मात्र एक लाईन से काटकर उसके ऊपर सुस्पष्ट शब्द/अंक लिखकर निविदाकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर करने एवं तिथि अंकित करनी होगी। यदि निविदाकर्ता कोई अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ना चाहते हैं तो उसे अंतिम पृष्ठ के पश्चात् सरल क्रमांक उल्लिखित करते हुए जोड़ सकते हैं।

2.3 निविदा का व्यय –

निविदाकर्ता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक समस्त व्यय जैसे निविदा तैयार किया जाना, आवेदन शुल्क, निविदा की प्रतिभूति एवं अन्य आनुषांगिक खर्च स्वयं व्यय करने होंगे और निविदा के परिणाम से प्रभावित हुए बिना क्रेता किसी भी व्यय के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।


2.4 आवेदन शुल्क एवं निविदा की प्रतिभूति (Application Fee and Earnest Money Deposit) –

2.4.1 यह प्रस्ताव रू.1,000/- के आवेदन शुल्क (Application Fee) एवं रू.20,000/- के निविदा की प्रतिभूति (EMD) के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा। आवेदन शुल्क एवं निविदा की प्रतिभूति रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के नाम जबलपुर में देय डिमान्ड ड्राफ्ट, पे-आर्डर, मियाद जमा रसीद अथवा बैंक गारंटी से अदा किये जा सकेंगे। आवेदन शुल्क एवं निविदा की प्रतिभूति के बिना प्रस्तुत समस्त निविदाएं नामंजूर कर दी जाएंगी। किसी भी स्थिति में निविदा की प्रतिभूति पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

2.4.2 सफल निविदाकार की निविदा की प्रतिभूति उसके द्वारा अनुबंध निष्पादन करने के उपरांत "परफारमेंस गारण्टी" प्रस्तुत कर दिये जाने पर वापस की जाएगी।

2.4.3 निविदा की प्रतिभूति निम्नलिखित परिस्थितियों में समपहृत कर ली जायेगी –

- (i) यदि निविदाकार निविदा की अवधि के भीतर अपनी निविदा वापस लेता है;
- (ii) यदि निविदाकार क्रेता द्वारा प्रस्तावित लिपिकीय त्रुटि को अपने प्रस्ताव में स्वीकार करने से इंकार करता है;



(iii) यदि सफल निविदाकार विहित समयावधि में निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में असफल रहता है;

(iv) यदि सफल निविदाकार कार्यादेश जारी होने की विहित समयावधि में अनुबंध पत्र निष्पादित करने में असफल रहता है।

2.4.4 असफल निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदा की प्रतिभूति निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने एवं कार्यादेश जारी होने पर वापस कर दी जायेंगी।

2.5 सेवा का मूल्य –

निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित फार्म में प्रत्येक सेवा के लिए पृथक से मूल्य दर्शित करना होगा जिसमें समस्त कर, खर्च एवं अनुषांगिक व्यय सम्मिलित होंगे।

2.6 प्रस्ताव की वैधता –

इस निविदा आमंत्रण के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से 180 दिन के लिए प्रभावशील रहेगा।

2.7 एक पक्षकार द्वारा मात्र एक प्रस्ताव –

प्रत्येक निविदाकर्ता को मात्र एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार होगा जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी संयुक्त फर्म के प्रतिनिधि के रूप में अथवा संयुक्त उपक्रम के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि किसी पक्षकार द्वारा एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रस्ताव नामंजूर कर दिये जायेंगे और इस संबंध में उससे कोई आगामी पत्राचार नहीं किया जायेगा।

2.8 प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना –

2.8.1 इस निविदा आमंत्रण के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रस्ताव/बिड मात्र भौतिक प्रति (Hard Copy) में ही प्रस्तुत किये जायेंगे। भौतिक प्रति से अभिप्रेत है दो कवर के बीच सिलाई अथवा अन्य प्रक्रिया द्वारा इस प्रकार से दस्तावेजों को संलग्न किया जाना जिससे प्रत्येक पृष्ठ विशिष्ट पृष्ठ संख्या से चिह्नित हो और जिसमें किसी भी प्रकार से नये पृष्ठ जोड़े जाने अथवा हटाये जाने की संभावना न हो।

2.8.2 उपरोक्त रीति द्वारा तैयार न की गई निविदा को बिना कोई कारण बताये नामंजूर कर दिया जायेगा।

2.8.3 प्रस्तावित निविदाकारों को अपनी निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर उस पर उचित सील भी लगानी होगी।

2.8.4 इस निविदा आमंत्रण के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्येक प्रस्ताव दो-बिड प्रणाली के अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे –

(a) लिफाफा 1 – इस लिफाफे के शीर्षक पर “लिफाफा 1 आवेदन शुल्क एवं EMD” उल्लेखित करते हुए लिफाफे के भीतर रू.1,000/-

का आवेदन शुल्क (Application Fee) एवं रू.20,000/- की निविदा की प्रतिभूति (EMD) रखी जाएगी।

- (b) **लिफाफा 2** – वाणिज्यिक शर्तों और निबंधनों के साथ सभी तकनीकी ब्यौरे वाली तकनीकी बिड जो इस निविदा दस्तावेज के अध्याय – 4 “**वित्तीय बिड**” में प्रस्तावित फॉर्म के अतिरिक्त समस्त दस्तावेजों/ प्रपत्रों एवं निविदाकर्ता द्वारा संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ तैयार की जाएगी। इस लिफाफे के शीर्षक पर लिखा जाना चाहिए “**लिफाफा 2 – तकनीकी बिड**”।
- (c) **लिफाफा 3** – वित्तीय बिड जिसमें तकनीकी बिड में उल्लेखित सेवाओं के लिए सेवा-वार कीमत दर्शाई गई हो। यह बिड इस निविदा दस्तावेज के अध्याय – 5 “**वित्तीय बिड**” में प्रस्तावित फॉर्म में तैयार की जाएगी। इस लिफाफे के शीर्षक पर लिखा जाना चाहिए “**लिफाफा 3 – वित्तीय बिड**”।
- (d) **लिफाफा 4** – उपरोक्त तीनों लिफाफे पुनः एक बड़े लिफाफे में रखकर सीलबंद किए जाएंगे और इस बड़े लिफाफे के शीर्षक पर लिखा जाना चाहिए – “**मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर में किराए से वाहन सेवा प्रदाय करने की निविदा। इसे 12 दिसम्बर, 2019 की प्रातः 11:00 बजे के पूर्व नहीं खोला जाए।**”

2.9 विलंब से प्रस्तुत निविदा –

निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदा बिना किसी विचार के नामंजूर कर दी जायेगी।


2.10 निविदा में परिवर्तन एवं निविदा वापस लिया जाना –

किसी भी निविदाकार को निविदा प्रस्तुत हो जाने के पश्चात् निविदा में कोई भी परिवर्तन करने अथवा उसे प्रत्याहृत करने का अधिकार नहीं होगा।

2.11 स्थानीय अवस्थायें –

2.11.1 प्रत्येक निविदाकार से अपेक्षा है कि वह मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक के कार्यालय में वाहनों की आवश्यकता, स्थानीय अवस्था एवं उसे समस्त कारकों को विस्तारपूर्वक समझ लें जो निविदा के निष्पादन एवं मूल्य को प्रभावित करती हैं। निविदा स्वीकार होने एवं कार्यादेश जारी होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन एवं निविदाकार के किसी भी स्पष्टीकरण के निवेदन को क्रेता द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2.12 क्रेता से संपर्क –



किसी भी निविदाकार द्वारा क्रेता से निविदा के मूल्य, तुलना अथवा निविदा प्रदान करने हेतु क्रेता को प्रभावित करने वाला संपर्क किये जाने पर ऐसी निविदा को बिना किसी अतिरिक्त विचार के नामंजूर कर दिया जायेगा।

2.13 महत्वपूर्ण तिथियां :-

इस निविदा के लिए निम्नलिखित तिथियां एवं उनके सम्मुख उल्लेखित विवरण महत्वपूर्ण हैं -

कार्य का वार्षिक अनुमानित मूल्य (रु. में)	निविदा की प्रतिभूति (रु. में)	निविदा दस्तावेज का मूल्य (रु. में)	निविदा जमा करने की प्रारंभिक तिथि व समय	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोले जाने की तिथि व समय
12,00,000/-	20,000/-	1,000/-	20 नवंबर, 2019 10:00 AM	11 दिसंबर, 2019 03:00 PM	12 दिसंबर, 2019 11:00 AM

2.14 निविदाओं का खोला जाना :-


1. इस आमंत्रण के अधीन प्रस्तुत निविदायें रजिस्ट्रार जनरल अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बनायी गई मूल्यांकन समिति द्वारा खोली जायेंगी।
2. उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय बिड (लिफाफा 3) खोले जायेंगे जो तकनीकी विड में योग्य पाये गये हों।
3. समस्त निविदायें निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में यदि वे उपस्थित हों, खोली जायेंगी।
4. निविदाकार अथवा उनके प्रतिनिधि यदि निविदा खोले जाने के समय उपस्थित होना चाहते हैं तो उन्हें निविदाकार द्वारा जारी प्राधिकार पत्र जो निविदाकार के छपे Letter head पर जारी होने वाले एवं अपना परिचय पत्र लेकर उपस्थित होना होगा।

2.15 निविदा खोले जाने का स्थान :-

संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, व्यौहारबाग, जबलपुर (म0प्र0) - 482007 का कार्यालय होगा। इस हेतु किसी भी निविदाकार अथवा उसके प्रतिनिधि को स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा। निविदा बिन्दु क्रमांक 2.13 में उल्लेखित समय पर खोली जायेंगी।

2.16 मूल्यांकन :-

1. क्रेता निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पूर्व बिना कोई कारण दर्शित किये और बिना निविदाकार को सूचना दिये किसी भी समय मूल्यांकन के आधार पर परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है।



2. मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान क्रेता निविदाकार से किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण ले सकते हैं।

3. **चरण 1 :- आवेदन शुल्क एवं निविदा की प्रतिभूति**

सर्वप्रथम बड़े लिफाफे में से लिफाफा - 1 खोला जायेगा जिसमें आवेदन शुल्क एवं निविदा की प्रतिभूति प्रस्तुत करनी है। जो आवेदक इस चरण में योग्य पाये जायेंगे, उन्हीं निविदाकारों के प्रस्ताव आगामी चरण में खोले जायेंगे।

चरण 2 :- तकनीकी बिड

इस चरण में लिफाफा - 2 तकनीकी बिड खोली जायेगी। प्रस्तावित निविदाकारों की योग्यताओं एवं प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच एवं मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा। इस निविदा दस्तावेज के अध्याय 5 में प्रस्तावित अहर्ताओं को पूर्ण न करने वाले निविदाकारों की निविदा इसी प्रक्रम पर नामंजूर कर दी जायेगी। ऐसे समस्त निविदाकार जो समस्त अहर्ताओं को बिन्दुवार पूरा करते हैं उन्हें आगामी चरण के लिए योग्य पाते हुए विचार में लिया जायेगा। इस प्रक्रम पर किसी भी निविदाकार द्वारा क्रेता के निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

चरण 3 :- वित्तीय बिड

तकनीकी बिड में योग्य पाये गये निविदाकारों की वित्तीय बिड इस चरण में खोली जायेगी। वित्तीय बिड का मूल्यांकन सेवा के लिए निर्धारित एकल दर एवं संपूर्ण सेवाओं के लिए निर्धारित "कुल दर" पर आधारित होगा। इसमें मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के लिए किराये पर लिये जाने वाले टोयोटा इनोवा वाहन एवं बसों के लिए समस्त खर्चों जैसे किराया, कर एवं अन्य व्यय आदि सम्मिलित हैं।

2.17 संविदा प्रदान किया जाना :-

2.17.1 क्रेता द्वारा सफल निविदाकार को संविदा किये जाने की सूचना "कार्यादेश" द्वारा दर सूची सहित सूचित किया जायेगा। सेवा-प्रदान करने का समय कार्यादेश की सूचना से प्रारंभ होगा।

2.17.2 क्रेता द्वारा तदोपरान्त निविदाकार को अनुबंध निष्पादित करने हेतु अनुबंध का प्रारूप उपलब्ध कराया जायेगा जिसे यथा-शीघ्र हस्ताक्षरित कर सफल निविदाकार को क्रेता को वापस करना होगा।

2.17.3 अनुबंध के निष्पादन के निमित्त समस्त खर्च जैसे स्टांप शुल्क, टाईपिंग शुल्क आदि सफल निविदाकार द्वारा वहन किये जायेंगे।

2.18 निविदाकारों के लिए सामान्य निर्देश :-



- 2.18.1 निविदा प्रपत्र तैयार करने के समस्त खर्च एवं राशि मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के कार्यालय आने-जाने का व्यय निविदाकारों द्वारा ही वहन किया जायेगा।
- 2.18.2 निविदा प्रस्ताव में प्रत्येक त्रुटियों, Overwriting आदि निविदाकारों के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर से ही किये जा सकेंगे। किसी भी प्रकार की अंकीय त्रुटि अथवा लिपिकीय त्रुटि होने पर शब्दों में उल्लेखित धनराशि प्रभावी मानी जायेगी।
- 2.18.3 प्रत्येक राशि को निविदा में अंकों के साथ शब्दों में भी उल्लेखित करना होगा।
- 2.18.4 सफल निविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका जबलपुर, मध्यप्रदेश में स्थानीय कार्यालय है जिससे इस निविदा के अधीन प्रस्तावित सेवायें सफलतापूर्वक उपलब्ध कराई जा सकें।

संविदा की सामान्य एवं विशिष्ट शर्तें

3.1 वाहन का प्रकार एवं अन्य विशिष्टियां

- 3.1.1 अनुबंध के अधीन उपलब्ध कराये जाने वाले टोयोटा इनोवा ए.सी. वाहन का मेक व मॉडल पृथक रूप से दर्शाया जाना चाहिए।
- 3.1.2 मासिक दर पर अनुबंध के प्रारंभ में नियोजित होने वाले वाहन का मॉडल वर्ष 2018 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये। इस अनुबंध की वैधता के किसी भी समय नियोजित होने वाला वाहन तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- 3.1.3 वाहन सफेद रंग का ही होना चाहिए।
- 3.1.4 सफल निविदाकार के द्वारा किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों को संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, के पास भौतिक सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।
- 3.1.5 सफल निविदाकार को वाहन को बिलकुल साफ-सुथरा तथा एकदम सही हालत में रखा जाना होगा। वाहन हेतु आवश्यक सीट कवर, पर्दे तथा अन्य सहायक उपकरण हमेशा उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3.1.5 वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर को यह अधिकार होगा कि वो बाजार से अन्य वाहन किराये पर ले लेवें। इस स्थिति में मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर द्वारा जो लागत वहन की जायेगी वो सफल निविदाकार के देयक से समायोजित की जायेगी।

3.2 वाहन की उपलब्धता तथा उपयोग

- 3.2.1 सफल निविदाकार को उपरोक्तानुसार कुल दो (02) टोयोटा इनोवा ए.सी. वाहन मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर को नियमित रूप से उपलब्ध कराना है।
- 3.2.2 अन्य टोयोटा इनोवा ए.सी. वाहन एवं 20/25 अथवा 32/35 सीटर बस आवश्यकतानुसार एवं संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के आदेशानुसार उपलब्ध कराना होगा।
- 3.2.3 वाहन का उपयोग संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के आदेशानुसार किया जायेगा। सफल निविदाकार द्वारा अकादमी में नियोजित वाहन का अन्यथा उपयोग करने पर परफारमेंस गारण्टी समपहृत कर अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।



3.2.4 किसी भी दुर्घटना के मामले में उत्पन्न समस्त दावे सफल निविदाकार या विक्रेता द्वारा स्वयं वहन किये जायेंगे।

3.3 वैकल्पिक वाहन की उपलब्धता

3.3.1 यदि नियोजित वाहन व्यवस्था से बाहर चला जाता है या बंद हो जाता है तो सफल निविदाकार को एक अन्य वाहन शीघ्र ही उपलब्ध करवाना होगा।

3.3.2 यदि वाहन को उसी दिन उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर को यह अधिकार होगा कि वो बाजार से अन्य वाहन किराये पर ले लेवें।

3.3.3 इस स्थिति में मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर द्वारा वहन की जाने वाली लागत सफल निविदाकार के देयक से समायोजित की जायेगी।

3.4 देयक एवं उनका भुगतान

3.4.1 देयक का भुगतान लॉग बुक में दर्शाये गये किलोमीटर के अनुसार किया जायेगा।

3.4.2 अनुबंध के व्यय में वाहन हेतु एक ड्राईवर, वाहन की मरम्मत तथा रखरखाव, बीमा, समस्त कर, पेट्रोल या डीजल, ऑईल तथा अन्य आनुशंगिक व्यय शामिल होंगे।

3.4.3 वाहन किराये पर लेने पर आवश्यक देयक का भुगतान प्रत्येक माह के अंत में सफल निविदाकार द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा किया जायेगा।

3.4.4 यह भुगतान मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पास पर्याप्त धन उपलब्ध होने के स्थिति पर निर्भर करता है। भुगतान में विलंब हेतु मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी अथवा म.प्र. उच्च न्यायालय किसी क्षतिपूर्ति के दायी नहीं होंगे।

3.5 वाहन के वैधानिक दस्तावेज

3.5.1 इस अनुबंध के अधीन उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का वैध टैक्सी परमिट होना चाहिए।

3.5.2 वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लायसेंस होना चाहिए तथा वाहन को केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के वाहन संबंधित विभागों से तथा आर.टी.ओ. से पंजीकृत होना चाहिये।

3.5.3 सफल निविदाकार को मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर द्वारा अनुबंध प्रदान करने के पश्चात् सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध को संपादित करने के पूर्व किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन, संपूर्ण बीमा

पॉलिसियों, वैध टैक्सी परमिट तथा वाहन चालकों के वैध ड्राइविंग लायसेंस की प्रतियां मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के समक्ष जमा की जायेंगी।

3.5.4 सफल निविदाकार के द्वारा वाहन चालक का पुलिस सत्यापन कराकर स्वयं प्रस्तुत करना होगा।

3.6 अनुबंध का समाप्त किया जाना

3.6.1 मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर तथा सफल निविदाकार के मध्य होने वाला अनुबंध कम से कम 60 दिवस की पूर्व सूचना पर सफल निविदाकार द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।

3.6.2 क्रेता को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना, बिना कारण बताए अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।

3.7 पेनाल्टी

3.7.1 इस निविदा दस्तावेज में वर्णित किसी भी शर्त अथवा निबंधन का अनुपालन न होने के स्थिति में रु.500/- प्रति दिवस के आधार पर पेनाल्टी लगाई जायेगी।

3.7.2 निविदा दस्तावेज में वर्णित नियमों, शर्तों अथवा निबंधनों का बार-बार उल्लंघन करने पर अनुबंध को बिना कोई सूचना दिये समाप्त कर दिया जायेगा।

3.8 वाहन चालक से अपेक्षाएं

3.8.1 वाहन चालक को ड्यूटी पर समस्त शिष्टाचार तथा प्रोटोकॉल संबंधी नियमों को पालन करना होगा तथा साफ, स्वच्छ सफेद/खाकी वर्दी पहननी होगी।

3.8.2 वाहन चालक के पास एक मोबाईल फोन सदैव चालू हालत में होना चाहिए। इस हेतु मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

3.8.3 सफल निविदाकार तथा वाहन चालक को मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर तथा उसके अधिकारियों के निर्देश मानने होंगे।

3.9 माईलेज की गणना

सफल निविदाकार द्वारा एक लॉग बुक का संस्थापन किया जायेगा जिसमें वाहन के माईलेज का विवरण दर्शाया जायेगा। यह लॉग बुक संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित की जायेगी। वाहन का उपयोग सफल निविदाकार द्वारा किये जाने पर उसका कोई भी अतिरिक्त भुगतान मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर द्वारा नहीं किया जायेगा।

3.10 परफारमेंस गारण्टी

सफल निविदाकार के द्वारा रु.50,000/- की राशि निविदा प्राप्ति के समय व अनुबंध निष्पादन के पूर्व प्रस्तुत करनी होगी। यह परफारमेंस गारण्टी डिमाण्ड ड्राफ्ट, सावधि

जमा रसीद (Fixed Deposit Receipt) अथवा बैंक गारण्टी के रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी।

3.11 संविदा की अवधि

3.11.1 यह अनुबंध पत्र निष्पादन दिनांक से तीन वर्ष तक की अवधि हेतु प्रभावशील होगा जब तक कि अनुबंध को खण्ड क्रमांक 11 के अनुसार समाप्त न कर दिया जायेगा।

3.11.2 इस अनुबंध को मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर तथा सफल निविदाकार की पारस्परिक सहमति होने पर तथा संतोषजनक कार्य होने पर अगले एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

3.12 वाहन के मासिक परिचालन की गणना

यदि एक माह में एक इनोवा वाहन के द्वारा 700 कि.मी. की दूरी तय नहीं की जाती है तो शेष बची हुई दूरी अगले माह की 700 कि.मी. की दूरी में जुड़ जायेगी। ऐसा लगातार 3 माह तक किया जा सकेगा। यदि 3 माह तक भी उक्त समस्त दूरी का उपयोग नहीं हो पाता है तो उक्त जुड़ी हुई दूरी समाप्त हो जायेगी।

3.13 स्वीकृत दर में वृद्धि

अनुबंध निष्पादन की तिथि से डीज़ल के मूल्य में प्रत्येक 10 (दस) प्रतिशत की वृद्धि होने पर इस निविदा के अधीन स्वीकृत दर में 04 (चार) प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। इस हेतु सफल निविदाकार को डीज़ल के मूल्य में 10 (दस) प्रतिशत की वृद्धि होने पर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर को आवेदन द्वारा सूचित करना आवश्यक होगा। बिना सूचना ऐसी वृद्धि मान्य नहीं होगी। इस निविदा के अधीन स्वीकृत दर में ऐसी वृद्धि सूचना देने के आगामी माह से प्रभावशील होगी।

3.14 स्वीकृत दर में कटौती


अनुबंध निष्पादन की तिथि से डीज़ल के मूल्य में प्रत्येक 10 (दस) प्रतिशत की कमी होने पर इस निविदा के अधीन स्वीकृत दर में 04 (चार) प्रतिशत की कटौती की जायेगी। इस हेतु सफल निविदाकार को डीज़ल के मूल्य में 10 (दस) प्रतिशत की कमी होने पर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर को आवेदन द्वारा सूचित करना आवश्यक होगा। बिना सूचना ऐसी कमी ज्ञात होने पर आगामी देयक से आनुपातिक राशि की कटौती की जाएगी तथा परफारमेंस गारण्टी समपहृत कर ली जायेगी। इस निविदा के अधीन स्वीकृत दर में ऐसी कटौती डीज़ल के मूल्य में कमी होने के आगामी माह से प्रभावशील होगी।

3.15 जी.एस.टी. की दर में परिवर्तन

इस निविदा आमंत्रण के अधीन निष्पादित अनुबंध के प्रभावशील होने के दौरान जी.एस.टी. की दर में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का लाभ सफल निविदाकार अथवा क्रेता

को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात् जी.एस.टी. की दर में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई दर से जी. एस.टी. की दर में कटौती होने पर घटी हुई दर से क्रेता द्वारा देयक का भुगतान किया जायेगा

- 3.16 रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पास किसी भी निविदा को बगैर किसी कारण के एवं बगैर कोई सूचना दिये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।



अध्याय - 4

तकनीकी बिड फार्म

इस निविदा आमंत्रण में रूचि रखने वाले व्यक्ति/फर्म/संस्था/कंपनी द्वारा निम्न जानकारी की पूर्ति की जानी है
(दस्तावेज संलग्न करें)

सरल क्रमांक	शीर्षक	विवरण	दस्तावेज (संलग्न है अथवा नहीं)
1	निविदाकर्ता का नाम तथा पता (फोन नंबर, ई-मेल एवं पंजीयन क्रमांक के साथ उल्लेख करें)		
2	व्यवसाय का प्रकार		
3	जी.एस.टी. पंजीयन संबंधित विवरण		
4	निविदाकर्ता का आयकर पेन (PAN) नं.		
4	निविदाकार का स्वयं के वाहन न होने की दशा में वाहन के पंजीकृत स्वामी के साथ निविदाकार द्वारा वाहन को किराये पर लिये जाने की स्वीकृति वाला अनुबंध पत्र		
5	वाहन के वास्तविक स्वामी की जानकारी (वाहन क्रमांक, नाम व पूर्ण पता)		
6	पूर्व में किसी संस्था/कंपनी को किराये पर वाहन उपलब्ध करवाने संबंधी जानकारी (संस्था का नाम, पता तथा समयावधि जिसके लिए वाहन किराये पर प्रदाय किया गया)		

नाम तथा हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरी

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील



अध्याय - 5

वित्तीय बिड फार्म

इस निविदा आमंत्रण में रुचि रखने वाले व्यक्ति/फर्म/संस्था/कंपनी द्वारा निम्न प्रारूप में वित्तीय बिड प्रस्तुत की जानी है

1. मासिक दर (दो वाहनों के लिये मात्र)

(7/8 सीटर टोयोटा इनोवा ए.सी. वाहन के किराए की दर)

क्र.	विवरण	मासिक दर (प्रति वाहन) (सभी करों, व्ययों, खर्चों सहित)
1	700 किलोमीटर प्रतिमाह दूरी के अनुसार जिसमें प्रतिदिन 12 घंटे ड्राइवर की उपलब्धता बनी रहेगी।	
2	12 घंटे के पश्चात् ड्राइवर का हॉल्टिंग चार्ज	
3	प्रत्येक तिमाही में 700 किलोमीटर प्रतिमाह की दूरी के पश्चात् तय की गई अतिरिक्त दूरी हेतु प्रति कि.मी. के हिसाब से राशि की दर	

2. दैनिक दर (आवश्यकतानुसार)

क्र.	वाहन का विवरण	वाहन की आवश्यकता का विवरण	दैनिक दर (सभी करों, व्ययों, खर्चों सहित)
1.	7/8 सीटर टोयोटा इनोवा वाहन (ए.सी.)	1. प्रति कि.मी. दर (80 कि.मी. एवं 12 घंटे तक)	
		2. 80 कि.मी. के बाद प्रत्येक कि.मी. की दर	
		3. 12 घंटे के बाद ड्राइवर हॉल्टिंग चार्ज प्रति घंटा	
2.	20/25 सीटर मिनी बस (ए.सी.)	1. प्रति कि.मी. दर (80 कि.मी. एवं 12 घंटे तक)	

		2.	80 कि.मी. के बाद प्रत्येक कि. मी. की दर	
		3.	12 घंटे के बाद ड्रायवर हॉल्टिंग चार्ज प्रति घंटा	
3.	32/35 सीटर पैसेंजर बस (ए.सी.)	1.	प्रति कि.मी. दर (80 कि.मी. एवं 12 घंटे तक)	
		2.	80 कि.मी. के बाद प्रत्येक कि. मी. की दर	
		3.	12 घंटे के बाद ड्रायवर हॉल्टिंग चार्ज प्रति घंटा	

मैंने निविदा दस्तावेज में उल्लेखित सभी शर्तें पढ़ ली हैं और उन्हें पूरी तरह से मान्य करता हूँ।

दिनांक

नाम तथा हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरी

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

